(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 51 (आर.ई.- 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, 03 जून, 2011

विषयः- आर्गेनिक दालों का निर्यात ।

सां0आ0(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैरा 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 15 (आर ई-2006)/2004-2009, दिनांक 27.06.2006 के साथ पठित अधिसूचना सं0 35 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 23.03.2011 के पैरा 3 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है ।

2. अधिसूचना सं0 35 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 23.03.2011 के पैरा 3 में संशोधित पैरा 3(i) (2) में यथाउल्लिखित आर्गेनिक दालों के निर्यात से संबंधित प्रविष्टियाँ निम्नानुसार पढ़ी जाएँगी :-

''3(i) (2) प्रति वर्ष 10,000 मी0 टन आर्गेनिक दालें और लेन्टिल्स। आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

(क) मात्रा सीमा प्रति वर्ष 10,000 मी0टन होगी ;
(ख) इसे एपीडा द्वारा आर्गेनिक दालें और लेन्टिल्स के रुप में विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए ;
(ग) पोतलदान से पूर्व निर्यात संविदाए एपीडा, नई दिल्ली के पास पंजीकृत होनी चाहिए;
(घ) निर्यात केवल सीमाशुल्क ई डी आई पत्तनों से अनुमत होगा ।''

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

पहले आर्गेनिक दालों के निर्यात पर 31.03.2012 तक 10,000 टन की अधिकतम सीमा और कुछ शर्तों के अधीन दालों के निर्यात पर रोक से छूट थी । अब आर्गेनिक दालों और लेन्टिल्स के निर्यात पर छूट प्रति वर्ष होगी; लेकिन यह 10,000 मी0 टन की सीमा के साथ और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/180/1776/एएम 10/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)